न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री समदरसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023

कोर्ट केम्प – कवास

राजस्व आवेदन संख्या :–   /2023

प्रार्थी	वनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।		1 मानाराम 2 पोकरराम 3 पेमाराम 4 जोराराम पिसरान गंगाराम जाति जाट निवासी भुरटिया 5 शाखा प्रवन्धक स्टेड बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 177 RTA Act.

उपस्थितिः–

1. तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण।
2. अप्रार्थीगण।

आदेश

दिनांकः 11/05/23

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि मौजा नया भुरटिया पटवार हल्का भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 982/92 रकबा 10.1981 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी में अंकित है तथा प्रार्थी भूमिपति है। अप्रार्थीगण उक्त भूमि का कृषि से भिन्न अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लेकर सार्वजनिक शमशान के रूप में उपयोग कर रहे है जो अवैध रूप से कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग की श्रेणी में आता है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त भूमि में से 02.00 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा में वरंग लाल से प्रदर्शित है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरों की भूमि में रकबा 02.00 बीघा का शमशान के रूप में कर कृषि से भिन्न अकृषि के रूप में उपयोग किया जा रहा है जो राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के विपरित है। लिहाजा मौजा नया भुरटिया पटवार हल्का भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 982/92 रकबा 10.1981 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से रकबा 02.00 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त करते हुए भूमि का कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करावें।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर प्रशासन गांवो के संग अभियान 2023 कोर्ट केम्प कवास में उपस्थित अप्रार्थीगण को तवल किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि मौजा नया भुरटिया पटवार हल्का भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 982/92 रकबा 10.1981 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर अर्थात 02.00 बीघा भूमि का उपयोग सार्वजनिक शमशान के रूप में भूमि का उपभोग किया जा रहा है, उक्त भूमि जो संलग्न नक्शा में वरंग लाल से प्रदर्शित भूमि को राज्य सरकार के नाम सिवायचक कर अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त कर राज्य सरकार के नाम दर्ज की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुना गया। पेरोकार सरकार ने आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि भूमि सम्परिवर्तन किये बिना अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी भूमि का कृषि से भिन्न उपयोग कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लघंन किया है। ग्राम पंचायत भुरटिया पंचायत समिति बाडमेर द्वारा प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 06.03.2023 की

सहायक कलेक्टर (SDO), बाडमेर

प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। मजमे आम में उक्त प्रकरण के बारे में पूछा गया तो मजमे आम में काश्तकारों ने अवगत करवाया कि उक्त भूमि का उपयोग कई वर्षो से ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक शमशान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ग्रामीणें व खातेदारों व उपस्थितजनों को पूछने पर बताया गया कि राजस्व ग्राम नया भुरटिया काफी बड़ा है जो सन् 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 861 की आबादी है। वर्तमान में करीबन 1140 की आबादी है तथा नजदीक राजस्व ग्राम में कोई शमशान भी नही है जो पड़ौस राजस्व ग्रामों के भी उपयोग में उक्त शमशान ही उपयोग में आ रहा है जो डामर सड़क से बारहमासी कदीमी रास्ते से जुड़ा हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत तर्को पर चिन्तन–मनन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि वर्तमान में प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित भूमि अप्रार्थीगण द्वारा एवं कृषि से भिन्न प्रयोजनार्थ शमशान के रूप में उपयोग किया जा रहा है। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा राजस्व जमाबन्दी संवत् 2075–2078, नक्शा, ग्राम पंचायत भुरटिया द्वारा जारी प्रस्ताव प्रतिलिपि दिनांक 06.03.2023, प्रस्तावित नक्शा, मौका फर्द दिनांक 25.03.2023 का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेज एवं मजमे आम में उपस्थित ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत मौजा नया भुरटिया पटवार हल्का भुरटिया तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खेत खसरा संख्या 982/92 रकबा 10.1981 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि में से रकबा 0.3237 हैक्टेयर अर्थात 02.00 बीघा भूमि जो संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' में बरंग लाल दर्शाई गई है, में अप्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार समाप्त किये जाकर राज्य सरकार में निहित की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई करें। संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'अ' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

(समदरसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 11/05/23 को मजमे आम में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर